आदेश फलक

(बिहार अभिधारी हस्तक, 1941 का नियम 129)

[illegible] को .... से .... तक

341/16-17 सं. .... सन् 200....

[illegible] खारिज वाद सं. ....

क्रम सं. तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
22/7/16	श्री महाराज राय पिता श्री स्व० खीरु राय सा. नावाडीह अंचल देवरी जिला गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्योरे की जमीन के दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दिया गया है । आवेदित जमीन श्री मुन्नी हजरा पिता श्री स्व० साहो हजरा सा. पुनीडीह अंचल देवरी के जरिये कैवाला नं. 4596 दिनांक 31/07/95 द्वारा क्रय किया गया है । ग्राम थाना नं. खाता नं. प्लॉट नं. रकबा पुनीडीह 526 29 378 12.5 डी पंजी 27 मे दर्ज कर आम इश्तिहार निर्गत करें । हल्का राजस्व कर्मचारी आवेदन पत्र का स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन अं. नि. के माध्यम से उपस्थापित करें । अभिलेख दिनांक 16/8/16 को उपस्थापित करें । लेखापाल अंचल अधिकारी देवरी अंचल अधिकारी देवरी	जाँच हेतु भेजा । K.C.

16/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया । आम इश्तहार निर्गत किया गया । तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है । किसी ने कोई आपत्ति नहीं दिया है । ह. कर्म. / अं. नि. का जाँच प्रतिवेदन देखा । इन्होंने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन रैयती गै. खास / कब्जस्त खाते की है । जिसकी जमाबन्दी पंजी ।। के पृष्ठ सं. 98/15 पर दर्ज है एवं विक्रेता के नाम स्व. गुना हजाम ... से कायम है । जमीन भूदान भूहदबंदी वन सीमा एवं सैरात से बाहर है । जमीन पर क्रेता का शांतिपूर्ण दखल है । आवेदित भूमि के नामांतरण हेतु अनुशंसा किया गया है ।

अतः ह. कर्म. एवं अं. नि. के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामांतरण क्रेता

श्री/श्रीमति महाराजु राम

पिता/पति स्व. रवीन्द्र राम ग्रा. कोहीवीर्ड

के नाम से किया गया है ।

मौजा/थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा	लगान
पुरनीगढ़िया / 526	29	378	12	1.00

संबंधित सहायक तद्नुसार शुद्धि पत्र निर्गत करे ।

लेखापाल

अंचल अधिकारी
देवरी

अंचल अधिकारी
देवरी

शुद्धि पत्र निर्गत किया गया । हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दे ।

अंचल अधिकारी
देवरी

एक प्रति ... निर्गत ।